रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-24032026-271248
CG-DL-E-24032026-271248

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1471] नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 24, 2026/चैत्र 3, 1948
No. 1471] NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 24, 2026/CHAITRA 3, 1948

## पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय

## आदेश

नई दिल्ली, 24 मार्च, 2026

**का.आ. 1536(अ).—** केन्द्रीय सरकार ने आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, लोकहित में पेट्रोलियम उत्पादों के उत्पादन, भंडारण और आपूर्ति को विनियमित करने के लिए पेट्रोलियम उत्पाद (उत्पादन, भंडारण और आपूर्ति का रखरखाव) आदेश, 1999 जारी कि या है;

**और** घरेलू उपभोक्ताओं को पाइपलाइन के माध्यम से प्राकृतिक गैस की आपूर्ति बढ़ाने से देश भर के उन क्षेत्रों से तरलीकृत पेट्रोलियम गैस (जिसे इसमें इसके पश्चात् "एलपीजी" कहा गया है) जारी करना संभव होगा जहां प्राकृतिक गैस पाइपलाइन संपर्क है और जहां प्राकृतिक गैस पाइपलाइन नहीं है, वहां अतिरिक्त मात्रा में एलपीजी उपलब्ध हो सकेगी ताकि किसी एक ईंधन पर निर्भरता कम हो सके;

**और** उपभोक्ताओं को प्राकृतिक गैस की आपूर्ति और वितरण के लिए विभिन्न क्षमताओं की पाइपलाइनों को बिछाना अनिवार्य है, *जो* या तो एक बड़ी मुख्य ट्रांसमिशन पाइपलाइन के टैप ऑफ पॉइंट से या एक तरलीकृत प्राकृतिक गैस (जिसे इसमें इसके पश्चात् "एलएनजी" कहा कहा गया है) भंडारण सुविधा से निकलती हैं, ताकि प्राकृतिक गैस का परिवहन व्यक्तिगत पाइपलाइनों या छोटी पाइपलाइनों के नेटवर्क के माध्यम से और अंततः सेवा पाइपलाइनों के माध्यम से उपभोक्ता तक वितरण के लिए किया जा सके;

**और** उपभोक्ताओं के परिसरों तक प्राकृतिक गैस के परिवहन के लिए पाइपलाइन बिछाने और साथ ही पेट्रोलियम उत्पादों के परिवहन के लिए पाइपलाइन बिछाने में आ रही बाधाओं में विभिन्न प्राधिकरणों से अनुमोदन, बहुत अधिक फीस और प्रभार लगाना और कभी-कभी स्वयं उपभोक्ताओं द्वारा या घरेलू उपभोक्ताओं के मामले में उनके निवासी कल्याण संघों द्वारा भूमि या आवासीय क्षेत्रों और परिसरों तक पहुंच से इनकार करना शामिल है;

**और** उन क्षेत्रों में भी जहां प्राकृतिक गैस पाइपलाइन की उपलब्धता है, उपभोक्ता प्राकृतिक गैस पर स्विच करना पसंद नहीं कर सकते हैं और इसके बजाय एलपीजी जारी रखना चाहते हैं, जिसके परिणामस्वरूप उन भौगोलिक क्षेत्रों में भी एलपीजी पर उच्च निर्भरता हो जाती है जहां उपभोक्ताओं को अन्यथा प्राकृतिक गैस की आपूर्ति की जा सकती है;

**और** एलपीजी और प्राकृतिक गैस दोनों की आपूर्ति और वितरण के संबंध में बाधाएं आ रही हैं और लंबे समय तक आने की आशंका है, ऐसा खाड़ी क्षेत्र में द्रवीकरण सुविधाओं के संचालन को व्यापक नुकसान पहुंचने और निलंबित होने और होरमुज जलडमरूमध्य के लगातार अवरोध के कारण हो रहा है, क्योंकि ऐसी घटनाओं के लिए दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा के लिए ईंधन विविधीकरण की आवश्यकता है;

**और** केन्द्रीय सरकार जनहित में एक ऐसा ढांचा ज़रूरी समझती है जो ऐसी पाइपलाइन बिछाने में रुकावट डालने वाले मुद्दों को हल करने के लिए हो, जिसमें ज़मीन तक पहुँच से मना करना, मंज़ूरी में देरी, रास्ते का अधिकार या ज़मीन पर इस्तेमाल का अधिकार देने में देरी, ज़्यादा फीस और चार्ज शामिल हैं, ताकि इकाईयां समय पर प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम उत्पाद के परिवहन के लिए पाइपलाइन बिछाने का काम कर सकें और पूरे भारत में पाइप से प्राकृतिक गैस इस्तेमाल करने वालों की संख्या बढ़ा सकें।

**अतः अब,** आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात्:

**1. संक्षिप्त नाम, लागू होना और प्रारंभ.-** (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम उत्पाद वितरण (पाइपलाइनों और अन्य सुविधाओं को बिछाने, निर्माण, संचालन और विस्तार के जरिये) आदेश, 2026 है।

(2) यह आदेश निम्नलिखित पर लागू होगा-

(i) सभी पब्लिक इकाईयों और दूसरे व्यक्ति या व्यक्तिक जिनके पास पब्लिक क्षेत्र, आवासीय क्षेत्र और गैर-पब्लिक क्षेत्र पर अधिकार, प्राधिकार, अधिकार या नियंत्रण है; और

(ii) सभी प्राधिकृत संस्थाएं।

(3) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख को लागू होगा।

**2. परिभाषाएँ.- (1)** इस आदेश में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) "प्राधिकृत इकाई" कोई भी सह वह व्यक्ति-

(i) जो पेट्रोलियम अधिनियम, 1934 (1934 का 30) के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा प्राधिकृत, अनुमोदित या अनुज्ञप्ति प्राप्त हो;

(ii) जो पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पादों के परिवहन के लिए पाइपलाइन बिछा रहा है, निर्माण कर रहा है, संचालन कर रहा है या विस्तार कर रहा है;

(iii) जिसे पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (जिसे इसमें इसके पश्चात् "पीएनजीआरबी" कहा गया है) ने पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड अधिनियम, 2006 (2006 का 19) के अधीन कॉमन कैरियर या संविदा कैरियर प्राकृतिक गैस पाइपलाइन या सिटी गैस वितरण नेटवर्क बिछाने, बनाने, चलाने या बढ़ाने के लिए प्राधिकृत किया हो; या

(iv) जिसे इस आदेश के प्रयोजनों के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा नामित किया जा सकता है;

**(**ख) "**सामान्य नलिकाएं या नलिकाएं या केबल गलियारे**" से व्यक्तिगत रूप से या सामूहिक रूप से पाइपलाइनों सहित उपयोगिता लाइनों के लिए किसी भी आकार का कोई भी रैखिक बुनियादी ढांचा अभिप्रेत है;

**(**ग) "**नामित अधिकारी**" से : (i) ऐसे क्षेत्रों के संबंध में जो नगर निगम के अधिकार क्षेत्र में नहीं हैं, जिला कलेक्टर या जिला मजिस्ट्रेट, (ii) नगर निगम के अधिकार क्षेत्र के अधीन क्षेत्रों के संबंध में, शहरी विकास विभाग या राज्य सरकार के नगरपालिका मामलों विभाग में सचिव स्तर का कोई अधिकारी, जैसा भी मामला हो, या (iii) संयुक्त सचिव के पद का ऐसा अन्य अधिकारी जिसे केंद्रीय सरकार द्वारा इस आदेश के प्रयोजनों के लिए नामित किया जाए, अभिप्रेत है;

(घ) "**खुदाई और भुगतान के आधार पर**" का वही अर्थ है जो खंड 4 के उपखंड (15) में यथा उपबंधित है;

(ङ) "**खुदाई और पुनर्स्थापना आधार**" का वही अर्थ होगा जो खंड 4 के उपखंड (15) में यथा उपबंधित है;

(च) "**वाहिनी**" से एक पाइप, स्थायी रूप से चिकनाई युक्त या किसी अन्य प्रकार का, जिसका उपयोग पाइपलाइन के लिए भूमिगत केबल नाली के रूप में किया जाता है, अभिप्रेत है;

(छ) "**आवास क्षेत्र**" से वह सार्वजनिक क्षेत्र या गैर-सार्वजनिक क्षेत्र, जहां आवासीय फ्लैट या बंगले विकसित किए गए हैं या विकसित किए जा रहे हैं, अभिप्रेत है;

(ज) "**निजी क्षेत्र**" से अचल संपत्ति या क्षेत्र अभिप्रेत है जो सार्वजनिक क्षेत्र नहीं है और इसमें किसी गैर-सार्वजनिक इकाई, निवासी कल्याण संघ या समूह आवास सोसायटी के स्वामित्व या प्रबंधन वाला कोई भी आवासीय क्षेत्र शामिल है;

(झ) "**ओवरग्राउंड पाइपलाइन**" से पाइपलाइन या पाइपलाइनों, उपकरणों और उनसे संबंधित सुविधाओं का एक नेटवर्क अभिप्रेत है जो जमीन पर पूरी तरह या आंशिक रूप से स्थापित या स्थापित की जाती हैं, जिसमें दबाव में परिवर्तन के लिए आवश्यक पाइपलाइन सहित किसी भी पाइपलाइन से जुड़ी सुविधाएं और स्थापनाएं शामिल हैं, जिनमें पाइपलाइन या कोई अन्य उपकरण शामिल हो सकते हैं, अभिप्रेत है;

(ञ) "**अन्य सुविधाओं**" से किसी भी ऐसी सुविधा या स्थापना अभिप्रेत है जो निम्नलिखित के लिए आवश्यक है-

(i) पेट्रोलियम उत्पाद, प्राकृतिक गैस, तरलीकृत प्राकृतिक गैस का भंडारण या तरलीकृत प्राकृतिक गैस का पुनर्गैसीकरण;

(ii) संपीड़ित प्राकृतिक गैस का भंडारण;

(iii) संपीड़ित प्राकृतिक गैस वितरण;

(iv) संपीडित प्राकृतिक गैस को डी-कम्प्रेस करना और प्राकृतिक गैस का वितरण करना; या

(v) प्राकृतिक गैस या पेट्रोलियम उत्पाद बांटने के लिए ज़रूरी कोई अन्य सुविधा करना या लगाना।

(ट) "**अनुमति**" से किसी पाइपलाइन या ओवरग्राउंड पाइपलाइन या भूमिगत पाइपलाइन या उनसे किसी संबद्ध सुविधा को बिछाने, संचालन, रखरखाव या विस्तार के प्रयोजनों के लिए तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन कोई अनुमति अभिप्रेत है ;

(ठ) "**पाइपलाइन**" से किसी पाइपलाइन या पाइपलाइनों के नेटवर्क या पाइपलाइन के किसी घटक या उससे संबंधित सुविधाएं अभिप्रेत है जिसका उपयोग एक या एक से अधिक परिसरों में प्राकृतिक गैस या पेट्रोलियम उत्पादों के परिवहन, वितरण या आपूर्ति के लिए किया जाता है और इसके ओवरग्राउंड पाइपलाइन और भूमिगत पाइपलाइन शामिल हैं;

(ड) "**सार्वजनिक इकाई**"–

(i) केन्द्रीय सरकार;

(ii) राज्य सरकारें;

(iii) शहरी प्राधिकरण;

(iv) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा या उसके नियंत्रण में अथवा किसी विधि के अधीन निगमित या स्थापित कोई प्राधिकरण, निकाय, कंपनी, एजेंसी या संस्थान;

(v) ज़िला प्रशासन, गाँव का प्रशासन या कोई ऑफ़िस या संगठन जिसे किसी इलाके में ज़मीन के विकास या इस्तेमाल को विनियमित करने का अधिकार मिला हो; या

(vi) कोई गैर-सार्वजनिक इकाई जिसमें किसी सार्वजनिक सुविधा या सार्वजनिक सुविधाओं के वर्ग का स्वामित्व, नियंत्रण या प्रबंधन निहित हो, अभिप्रेत है;

**(**ढ) "**सार्वजनिक क्षेत्र**" से कोई अचल संपत्ति या क्षेत्र अभिप्रेत है जो किसी सार्वजनिक संस्था के स्वामित्व में हो, उसके कब्जे में हो या उसके प्रबंधन के नियंत्रण में हो;

**(**ण) "**अनुसूची" से इस आदेश के साथ संलग्न अनुसूचियों** अभिप्रेत **है**;

(त) "**भूमिगत पाइपलाइन**" से पाइपलाइन या पाइपलाइनों के नेटवर्क के हिस्से , उपकरण और उनसे संबंधित सुविधाएं, जिसमें परिवहन के लिए पाइपलाइन की स्थापना या रखरखाव के प्रयोजन के लिए जमीन के नीचे स्थापित तरलीकृत प्राकृतिक गैस, संपीड़ित प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम उत्पाद, के भंडारण के लिए कोई सुविधा या सामान्य नलिकाएं या नलिका या केबल गलियारे, मार्कर, भूमिगत पाइपलाइन शामिल है, अभिप्रेत है;

**(**थ) "**शहरी प्राधिकरण**" से नगर निगमों, नगर परिषदों, विकास प्राधिकरणों सहित उन प्राधिकरणों से अभिप्रेत है जिनके पास सार्वजनिक भूमि या सड़कें हैं, जिन तक प्राधिकृत इकाइयों द्वारा पहुँच की आवश्यकता होती है।

(2) उन शब्दों और पदों के, जो इसमें प्रयुक्त है और परिभाषित नहीं है किंतु पेट्रोलियम अधिनियम, 1934 (1934 का 30), तेलक्षेत्र (विनियम और विकास) अधिनियम, 1948 (1948 का 53) और पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड अधिनियम, 2006 (2006 का 19) या इनके अधीन बनाए गए नियम या विनियम; पेट्रोलियम उत्पाद (उत्पादन, भंडारण और आपूर्ति का रखरखाव) आदेश, 1999, तरलीकृत पेट्रोलियम गैस (आपूर्ति और वितरण का

विनियमन) आदेश, 2000 में परिभाषित है, वही अर्थ होंगे जो उस अधिनियम, नियम, विनियम, आदेश में है ।

**3. विस्तार.-** (1) यह आदेश रास्ते के अधिकार या उपयोग के अधिकार या किसी प्राधिकृत इकाई को किसी सार्वजनिक क्षेत्र या आवासीय क्षेत्र या गैर-सार्वजनिक क्षेत्र का उपयोग निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए करने में सक्षम बनाने के लिए अपेक्षित किसी अनुमति को प्रदान करना शासित करेगा-

(क) पाइपलाइन, ओवरग्राउंड पाइपलाइन या भूमिगत पाइपलाइन और उससे जुड़ी सुविधाओं का बिछाना, बनाना, चलाना या बढ़ाना; और

(ख) किसी अन्य सुविधा का निर्माण , संचालन, रख-रखाव या विस्तार करना।

(2) सभी व्यक्ति जो भूमि या सामान्य नलिकाओं या नाली या केबल गलियारों के स्वामी हैं या भूमि या सामान्य नलिकाओं या नाली या केबल गलियारों तक पहुँच या मार्ग के अधिकार या भूमि या सामान्य नलिकाओं या नाली या केबल गलियारों के संबंध में किसी भी प्रकार की सुगमता को नियंत्रित करते हैं , जो कि किसी प्राधिकृत इकाई द्वारा निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए आवश्यक है-

(क) प्राकृतिक गैस या पेट्रोलियम उत्पादों के परिवहन के लिए पाइपलाइन, ओवरग्राउंड पाइपलाइन या भूमिगत पाइपलाइन बिछाना, बनाना, चलाना या बढ़ाना, साथ ही उनसे जुड़ी सुविधाएं; और

(ख) किसी अन्य सुविधा का निर्माण , संचालन, रख-रखाव या विस्तार करते समय, इस आदेश के उपबंधों का पालन करेंगे और इस आदेश के अनुसार ऐसी भूमि पर अपने किसी भी अधिकार या प्राधिकार का प्रयोग करेंगे।

(3) सभी सार्वजनिक इकाईयां अपने अधिकार क्षेत्र के अधीन किसी भी भूमि पर इस आदेश के उपबंधों के अनुसार अपने अधिकार का प्रयोग करेंगी, जो निम्न उद्देश्यों के लिए आवश्यक है-

(क) प्राकृतिक गैस या पेट्रोलियम उत्पाद, के परिवहन के लिए पाइपलाइन, ओवरग्राउंड, पाइपलाइन या भूमिगत, पाइपलाइन और उनसे जुड़ी सुविधाएं बिछाना; और

(ख) किसी अन्य सुविधा का निर्माण, संचालन, रख-रखाव या विस्तार करना।

(4) यह आदेश उन सभी आवेदनों पर लागू होगा जो इस आदेश के प्रकाशन की तारीख को सार्वजनिक संस्थाओं या गैर-सार्वजनिक संस्थाओं के पास उप-खंड (2) में निर्दिष्ट पाइपलाइनों या सुविधाओं को बिछाने के लिए लंबित हैं।

(5) जिस प्राधिकृत इकाई ने आवेदन जमा किया था, उसे संबंधित सार्वजनिक इकाई को यह बताना होगा कि इस आवेदन को इस ऑर्डर के नियमों के अनुसार संसाधित किया जा सकता है, साथ ही इस आदेश के अधीन लागू प्रभार भी लगेंगे।

**4. सार्वजनिक इकाई द्वारा अनुमति का प्रदान करना.-** (1) **सार्वजनिक** इकाई निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए, किन्हीं सार्वजनिक क्षेत्रों, जो आवासीय क्षेत्र नहीं हैं, के संबंध में मार्ग का अधिकार या उपयोग का अधिकार या कोई अनुमति **प्रदान करना**-

(क) पाइपलाइन और उससे जुड़ी सुविधाओं को बिछाना , बनाना, चलाना या बढ़ाना; या

(ख) अन्य सुविधाओं की स्थापना , संचालन, रखरखाव या विस्तार करना।

(2) उप-खण्ड (1) के अधीन आने वाले रास्ते का अधिकार या उपयोग का अधिकार या कोई अनुमति चाहने वाली प्राधिकृत इकाई को ऐसे सार्वजनिक क्षेत्र पर आवश्यक रास्ते का अधिकार या अनुमति देने के लिए स्वामित्व, नियंत्रण या क्षेत्राधिकार रखने वाली संबंधित सार्वजनिक इकाई को आवेदन प्रस्तुत करना होगा।

(3) हर आवेदन के साथ प्रथम अनुसूची के भाग-1 में बताई गई फीस भी देनी होगी। आवेदन को या तो प्राप्ति की पुष्टि के साथ सार्वजनिक संस्था को सौंपा जाएगा या पंजीकृत डाक और ईमेल के माध्यम से भेजा जाएगा।

(4) उप-खण्ड (2) के अधीन किए गए आवेदन के प्रस्तुत होने पर, इस निमित्त प्राधिकृत इकाई द्वारा प्राधिकृत कोई भी व्यक्ति, उस सार्वजनिक क्षेत्र के सम्बन्ध में, जिसके लिए आवेदन प्रस्तुत किया गया है, निम्नलिखित में से कोई एक या सभी गतिविधियाँ करेगा-

(क) कोई निरीक्षण, सर्वेक्षण, माप, मूल्यांकन या पूछताछ करना ;

(ख) स्तर लेना ;

(ग) उप-मृदा खोदना या उसमें छेद करना;

(घ) कार्य की सीमाएँ तथा इच्छित रेखाएँ निर्धारित करना;

(ङ) ऐसे स्तर, बॉर्डर और लाइनों पर निशान लगाना और खाइयां काटना; या

(च) ऐसे अन्य कार्य या चीजें करना जिन्हें पाइपलाइनों, उससे संबंधित सुविधाओं, अन्य सुविधाओं या ओवरग्राउंड पाइपलाइन या भूमिगत पाइपलाइन बिछाने के इच्छित कार्यों की व्यवहार्यता निर्धारित करने, योजना बनाने और अन्यथा तैयारी करने के लिए आवश्यक समझा जाए।

(5) उप-खण्ड (2) के अन्तर्गत प्राप्त आवेदन की जांच करने पर, सार्वजनिक इकाई आवेदन प्रस्तुत करने के सात दिनों के भीतर एक समेकित मांगपत्र में सभी ऐसे स्पष्टीकरण तथा अतिरिक्त दस्तावेज, यदि कोई हों, मांगेगी।

(6) सभी सार्वजनिक संस्थाएं प्रथम अनुसूची के भाग 2 में निर्दिष्ट समय-सीमा के भीतर, ऐसी प्राधिकृत इकाई को निम्नलिखित के लिए अनुमति देंगी या अस्वीकार करेंगी-

(क) प्राकृतिक गैस या पेट्रोलियम उत्पाद, के परिवहन के लिए पाइपलाइन ; या

(ख) उसके स्वामित्व या नियंत्रण या अधिकार क्षेत्र के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र के ऊपर या नीचे कोई अन्य सुविधाएं, जिसमें ऐसे सार्वजनिक क्षेत्र को शामिल करने वाली प्रासंगिक भूमि में रास्ते का अधिकार या उपयोग का अधिकार निहित होना शामिल है:

परंतु केन्द्रीय सरकार किसी विशिष्ट प्रकार के अनुमोदन के संबंध में निर्दिष्ट समय सीमा को बढ़ा या घटा सकती है ।

(7) अगर सार्वजनिक इकाई किसी प्राधिकृत इकाई के आवेदन को अस्वीकार करना चाहती है, तो उसे पहले प्रथम अनुसूची के भाग 2 में बताई गई समय-सीमा के अंदर, आवेदन जमा करने वाली संबंधित प्राधिकृत इकाई को लिखकर अपने कारण बताने होंगे।

(8) प्राधिकृत इकाई उप-खण्ड (7) के अधीन ऐसे कारणों की प्राप्ति से पन्द्रह दिनों के भीतर कारणों पर अपने उत्तर प्रस्तुत करेगी तथा किसी भी अतिरिक्त दस्तावेज़ के साथ स्पष्टीकरण प्रदान करेगी, जिसे प्राधिकृत इकाई आवश्यक समझे या जैसा कि सार्वजनिक इकाई द्वारा मांगा जाए।

(9) सार्वजनिक इकाई, उप-खण्ड (8) के अन्तर्गत प्राधिकृत इकाई के उत्तर पर सम्यक विचार करने के पश्चात, कारण बताते हुए आवेदन को स्वीकृत या अस्वीकृत करेगी तथा प्राधिकृत इकाई का उत्तर प्राप्त होने से सात दिनों के भीतर प्राधिकृत इकाई को अपने निर्णय से अवगत कराएगी:

परंतु यदि सार्वजनिक इकाई पाइपलाइन बिछाने या संबंधित इलाके में प्राकृतिक गैस या पेट्रोलियम उत्पाद बांटने के लिए ज़रूरी कोई दूसरी सुविधा देने में असमर्थ है, तो सार्वजनिक इकाई आवेदन को अस्वीकार नहीं करेगी।

(10) उप-खण्ड (2) के अधीन आवेदन के साथ भुगतान की गई फीस के नब्बे प्रतिशत के बराबर राशि प्राधिकृत इकाई को वापस करेगी।

(11) यदि सार्वजनिक इकाई आवेदन को अस्वीकृत नहीं करती है या उप-खण्ड (6) में निर्दिष्ट अवधि के भीतर अनुमति प्रदान करने में विफल रहती है, तो अनुमति प्रदान की गई मानी जाएगी तथा प्राधिकृत इकाई द्वारा कोई लिखित संचार अथवा अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होगी तथा प्राधिकृत इकाई उप-खण्ड (3) में निर्दिष्ट प्रभार का भुगतान करेगी।

(12) उप-खण्ड (11) में निर्दिष्ट समझी गई अनुमति के मामले में, प्राधिकृत इकाई अपनी वेबसाइट पर और संबंधित क्षेत्र में व्यापक प्रसार संख्या वाले दो दैनिक समाचार पत्रों में, एक अंग्रेजी में और एक संबंधित राज्य की राजभाषा में, एक सार्वजनिक सूचना जारी करेगी, जिसमें यह निर्दिष्ट किया जाएगा कि मान्य समझा गया अनुमोदन प्रदान कर दिया गया है, जिसमें आवेदन दाखिल करने की तारीख और ऐसी समझी गई अनुमोदन की तारीख स्पष्ट रूप से बताई जाएगी और इसकी एक प्रति रजिस्ट्रीकृत डाक और डाक द्वारा सार्वजनिक इकाई को भेजी जाएगी:

परंतु किसी प्राधिकृत इकाई द्वारा मिथ्या सार्वजनिक नोटिस जारी की जाती है तब, उसके प्राधिकार या अनुज्ञप्ति के अधीन व्यतिक्रम समझा जाएगा और इसके परिणामों के लिए वह उत्तरदायी होगी ।

(13) उप-खण्ड (1) के अधीन अनुमति प्रदान करने के लिए संबंधित सार्वजनिक इकाई को देय प्रभार दूसरी अनुसूची के भाग 1 में विनिर्दिष्ट प्रभार के अनुसार होंगे।

(14) किसी शहरी प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र में आने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के पुन:स्थापन के संबंध में, जिसके लिए इस खंड के अधीन रास्ते का अधिकार या उपयोग का अधिकार या अनुमति दी गई है, सार्वजनिक इकाई अपनी नीति के अनुसार संबंधित प्राधिकृत इकाई से या तो यह अपेक्षा कर सकती है कि -

(क) संबंधित प्राधिकारी द्वारा किए जाने वाले पुनर्स्थापन के काम के लिए संदाय करे (अर्थात्, खुदाई और भुगतान आधार) ; या

(ख) स्वयं अपने व्यय पर पुन:स्थापन का काम करे (अर्थात् खुदाई **और** पुन:स्थापन **आधार**):

परंतु कि सार्वजनिक क्षेत्र में थोक आपूर्ति संचरण पाइपलाइनों के कार्य के संबंध में उपधारा (15) के प्रावधान लागू होंगे।

(15) एक अधिकृत इकाई जो किसी सार्वजनिक क्षेत्र में थोक आपूर्ति संचरण पाइपलाइन का बिछाने, निर्माण, संचालन या विस्तार करने का कार्य कर रही है, उसे एक सार्वजनिक इकाई द्वारा यह आवश्यक किया जाएगा कि वह अपना कार्य केवल खुदाई और पुनर्स्थापन के आधार पर ही करे, और ऐसी अधिकृत इकाई संबंधित सार्वजनिक इकाई को द्वितीय अनुसूची के भाग III के अनुसार एक प्रदर्शन बैंक गारंटी प्रदान करेगी।

(16) एक प्राधिकृत इकाई जो किसी शहरी प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र के अधीन किसी सार्वजनिक क्षेत्र में सिटी गैस वितरण (जिसे इसमें इसके पश्चात् "सीजीडी" कहा गया है) नेटवर्क बिछाने, निर्माण करने, संचालन करने या विस्तार करने का काम खुदाई और भुगतान के आधार पर करती है, उसे दूसरी अनुसूची के भाग 2 में निर्दिष्ट प्रभार के अनुसार पुन:स्थापन के लिए भुगतान करना होगा।

(17) शहरी प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र के अधीन किसी सार्वजनिक क्षेत्र में खुदाई और पुन:स्थापन के आधार पर सीजीडी नेटवर्क बिछाने, निर्माण करने, परिचालन या विस्तार करने वाली प्राधिकृत इकाई को, कार्य करने के निष्पादन हेतु सुरक्षा के रूप में, अनुमति या समझी गई अनुमति, जैसा भी मामला हो, को प्रदान करने से पांच कार्य दिवसों के भीतर दूसरी अनुसूची के भाग 3 में निर्दिष्ट राशि के बराबर राशि की अखंडनीय और बिना शर्त परिक्रामी बैंक गारंटी प्रदान करनी होगी।

(18) प्राधिकृत इकाई ऐसे पुन:स्थापन कार्य के पूरा होने पर एक दिन के भीतर सार्वजनिक इकाई को प्रमाणीकरण तथा फोटो या वीडियो सबूत प्रस्तुत करेगी और सार्वजनिक इकाई पुन:स्थापन के निरीक्षण के बाद संबंधित प्राधिकृत इकाई द्वारा प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने के तीस दिनों के भीतर उप-खण्ड (15) या उप-खण्ड (17) के अधीन प्रदान की गई बैंक गारंटी प्राधिकृत इकाई को वापस कर देगी।

(19) सार्वजनिक इकाई इस आदेश में विनिर्दिष्ट के सिवाय कोई कर, फीस, प्रभार, अधिभार, किराया, वेलीव, विकास प्रभार, वार्षिकी, प्रतिकर, प्रवेश फीस, वित्तीय कर या किसी भी अन्य प्रकार का प्रभार नहीं लगाएगी या किसी भी रूप में कोई अन्य प्रभार या मुआवजा नहीं मांगेगी जो निम्नलिखित की अनुमति के लिए हो-

(क) कोई पाइपलाइन बिछाना, बनाना, चलाना या मेंटेन करना; या

(ख) किसी अन्य सुविधा की स्थापना, संचालन, रखरखाव या विस्तार करना ।

**5. आवासीय क्षेत्रों में अनुमति प्रदान करना.-** (1) सुसंगत इकाई, चाहे वह सार्वजनिक इकाई हो या गैर-सार्वजनिक इकाई, जो किसी आवासीय क्षेत्र में विद्यमान किसी ज़मीन पर पहुंच को नियंत्रित करती हो या उसका मालिक हो, किसी प्राधिकृत इकाई के आवेदन के तीन कार्य दिवस के भीतर, रास्ते का अधिकार या उपयोग का अधिकार या ऐसी प्राधिकृत इकाई को पाइपलाइन बिछाने, बनाने या उसका विस्तार करने में सक्षम बनाने के उद्देश्य से कोई अनुमति देगी। उससे संबंधित आवासीय क्षेत्र में विद्यमान सभी आवासीय यूनिटों और घरेलू पीएनजी उपभोक्ता के लिए आखिरी मील कनेक्टिविटी अड़तालीस घंटे के अंदर मंज़ूरी दे दी जाएगी ।

(2) किसी प्राधिकृत इकाई द्वारा संबंधित इकाई को किया गया आवेदन, प्रथम अनुसूची के भाग 1 में यथा विनिर्दिष्ट फीस के साथ होना चाहिए, जिसे प्रथम अनुसूची के भाग II में निर्धारित समय सीमा के भीतर संसाधित किया जाएगा। आवेदन या तो प्राप्ति की स्वीकृति के साथ संबंधित इकाई या व्यक्ति को सौंपा जाएगा या पंजीकृत डाक द्वारा और, यदि संभव हो, ईमेल के माध्यम से भेजा जाएगा।

(3) सुसंगत **इकाई उप-खंड** (2) **के** अधीन **किसी अधिकृत इकाई द्वारा किए गए आवेदन को अस्वीकार नहीं करेगी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी आवासीय क्षेत्र एक पाइपलाइन नेटवर्क से जुड़े हुए हैं ताकि आवासीय क्षेत्र के भीतर सभी आवासीय इकाइयों को पाइपलाइन के माध्यम से प्राकृतिक गैस का वितरण और आपूर्ति सक्षम हो सके।**

(4) यदि सुसंगत इकाई रास्ते का अधिकार या उपयोग का अधिकार या किसी **मांगी गई** अनुमति **देने में** असफल **हो जाती है**, **तो** प्राधिकृत इकाई:

(क) **आवास क्षेत्र का विवरण और सार्वजनिक अभिलेखों में उपलब्ध सभी आवासीय इकाइयों के पते, जो ऐसे आवास क्षेत्र में स्थित हैं, के बारे में नामित अधिकारी को सूचित करें**;

(ख) **मद** (क) **में जारी** सूचना **में उल्लिखित पतों के साथ एक सार्वजनिक नोटिस जारी करें, जो कि ऐसे आवेदन के आवास क्षेत्र के निकटतम प्रवेश बिंदुओं या सार्वजनिक सड़कों पर प्रमुखता से प्रदर्शित किया जाए, लेकिन इस उप-खंड में बताए गए परिणामों के साथ कोई अनुमोदन प्रदान नहीं किया गया हो**;

(ग) सार्वजनिक सूचना **को दो** समाचार पत्रों **में** प्रकाशित **करवाएं**, एक अंग्रेजी में और दूसरा संबंधित राज्य की राजभाषा में, **जिनका उस** स्थान में **बहुत ज़्यादा** परिचालन **हो** जहां आवासीय क्षेत्र **है**; **और**

(घ) **पतों के साथ जारी किए गए** सार्वजनिक सूचना **के** क्षेत्र की **सभी** तेल **मार्केटिंग कंपनियों के** एलपीजी **डिस्ट्रीब्यूटरशिप को सूचित करें**, **और इसकी एक** प्रति **सभी** तेल **मार्केटिंग कंपनियों के संबंधित मार्केटिंग अधिकारी को भेजें**, **इस** अनुरोध के **साथ कि वे ऐसे** सूचना **में दिए गए संबंधित पतों के निवासियों को टेक्स्ट मैसेज**, **टेलीफ़ोन या रिकॉर्डेड वॉयस मैसेज से सूचित करें कि संबंधित पते पर** एलपीजी **की** आपूर्ति **उक्त** सूचना **की तारीख से तीन महीने के अंदर बंद कर दी जाएगी**:

परंतु किसी भी पते पर रहने वाले व्यक्ति का व्यक्तिगत विवरण, नाम सहित, इस खंड के अधीन जारी सार्वजनिक सूचना में प्रकाशित नहीं किया जाएगा /

(5) **उप-खण्ड** (4) **के** अधीन सूचना **जारी होने की** तारीख **से तीन महीने की समाप्ति पर सम्बन्धित आवासीय क्षेत्र में घरों को एल.पी.जी. की आपूर्ति बंद हो जायेगी।**

परंतु ***कि*** **किसी घर में** एलपीजी **की** आपूर्ती **बंद न**हीं होगी**,** यदि प्राधिकृत इकाई **इस आधार पर नो** अनापत्ति प्रमाणपत्र **(**एनओसी**) जारी करती है कि** प्राधिकृत इकाई **के लिए ऐसे घर को पाइप्ड** प्राकृतिक **गैस कनेक्शन देना** तकनीकी संभव **नहीं है।**

(6) **अधिकृत** इकाई **ऐसी तकनीकी अक्षमता के कारणों का रिकॉर्ड रखेगी और जब वह ऐसे घरों में पाइप कनेक्टिविटी देने और चालू करने में सक्षम होगी**, **तो** अनापत्ति प्रमाणपत्र **वापस ले लेगी।**

(7) उप-खण्ड (1) के अधीन अनुमति प्रदान करने के लिए सुसंगत इकाई को देय प्रभार दूसरी अनुसूची के भाग 1 में विनिर्दिष्ट प्रभार के अनुसार होगा।

(8) किसी शहरी प्राधिकारी के अधिकार क्षेत्र में आने वाले आवासीय क्षेत्र के पुन:स्थापन के संबंध में, जिसके लिए इस खंड के अधीन रास्ते का अधिकार या उपयोग का अधिकार या अनुमति दी गई है, सुसंगत सार्वजनिक इकाई अपनी पॉलिसी के अनुसार, प्राधिकृत इकाई से या तो खुदाई भुगतान आधार या खुदाई पुन:स्थान आधार पर काम करने के लिए कह सकती है ।

(9) खुदाई भुगतान आधार पर किए गए काम के लिए लागू प्रभार, दूसरी अनुसूची के भाग 2 में निर्दिष्ट प्रभार के अनुसार होगा ।

(10) खुदाई और पुन:स्थापन के आधार पर किए गए काम के संबंध में, प्राधिकृत इकाई, अनुमति या समझी गई अनुमति, जैसा भी मामला हो, मिलने के पांच कार्य दिवसों के अंदर अपने काम के लिए प्रतिभूति के तौर पर, दूसरी अनुसूची के भाग 3 में विनिर्दिष्ट रकम के लिए एक अखंडनीय और बिना शर्त पराक्रमी बैंक गारंटी देगी।

(11) किसी सुसंगत इकाई के मामले में, जो एक गैर-सार्वजनिक इकाई है, काम सिर्फ़ खुदाई और पुन:स्थापन आधार पर प्राधिकृत इकाई द्वारा किया जाएगा, जिसके लिए बैंक गारंटी की आवश्यकता नहीं होगी।

(12) यदि सुसंगत सार्वजनिक इकाई को उप-खण्ड (8) के अधीन सुधार कार्य करने के लिए प्राधिकृत इकाई की आवश्यकता हो, तो प्राधिकृत इकाई ऐसे पुन:स्थापन कार्य के पूरा होने पर सुसंगत सार्वजनिक इकाई को फोटो या वीडियो साक्ष्य, यदि कोई हो, के साथ एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगी और सुसंगत सार्वजनिक इकाई पुन:स्थापन के निरीक्षण के पश्चात प्राधिकृत इकाई द्वारा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के तीस दिनों के अन्दर उप-खण्ड (10) के अधीन प्रदान की गई बैंक गारंटी वापस कर देगी।

(13) सुसंगत इकाई इस आदेश में निर्दिष्ट के किए गए शुल्कों के सिवाय, किसी भी पाइपलाइन तक पहुंच प्रदान करने के लिए या किसी अन्य प्रकार के शुल्क या किसी भी रूप में मुआवजा प्राप्त करने के लिए कोई फीस, प्रभार, अधिभार, किराया, वेलीव, विकास प्रभार, वार्षिकी या प्रतिकर या प्रवेश शुल्क, या वित्तीय कर या किसी अन्य प्रकार का शुल्क नहीं लगाएगी:

(a) किसी भी पाइपलाइन को बिछाने, निर्माण करने, संचालन करने या बनाए रखने के लिए; या

(b) किसी अन्य सुविधाओं की स्थापना, संचालन, रखरखाव या विस्तार करने के लिए।

(14) इस धारा के प्रावधान पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पादों का परिवहन करने वाली पाइपलाइनों पर लागू नहीं होंगे।

**6. गैर-सार्वजनिक क्षेत्रों में गैर-सार्वजनिक इकाइयों द्वारा अनुमति प्रदान करना.** -(1) कोई भी गैर-सार्वजनिक इकाई या व्यक्ति जो किसी गैर-सार्वजनिक क्षेत्र वाली किसी भूमि पर पहुंच को नियंत्रित करता है या उसका मालिक है, जो आवासीय क्षेत्र नहीं है, किसी प्राधिकृत इकाई द्वारा किसी प्रकार का मार्ग या उपयोग का अधिकार या कोई अनुमति देने के लिए आवेदन प्राप्त होने पर, ऐसी प्राधिकृत इकाई को पाइपलाइन बिछाने, निर्माण करने या विस्तार करने या संबंधित सुविधाओं, अन्य सुविधाओं में सक्षम बनाने के लिए, परस्पर सहमत विचार को निर्दिष्ट करते हुए एक समझौता करेगी, ताकि प्राधिकृत इकाई को ओवरग्राउंड पाइपलाइन या भूमिगत पाइपलाइन या किसी अन्य सुविधा को बिछाने की व्यवहार्यता का आकलन करने के उद्देश्य से आवश्यक सर्वेक्षण करने की अनुमति दी जा सके। आवेदन को: (क) समझौते के एक मसौदे के साथ संलग्न होना चाहिए (जो इस उद्देश्य के लिए अधिकृत संस्था की वेबसाइट पर उपलब्ध मानक प्रारूप में होगा) और (ख) या तो गैर-सार्वजनिक संस्था या व्यक्ति को प्राप्ति की पुष्टि के साथ सौंपा जाना चाहिए या पंजीकृत डाक के माध्यम से और, यदि संभव हो, ईमेल द्वारा भेजा जाना चाहिए:

परंतु कोई भी गैर-सार्वजनिक इकाई या व्यक्ति, प्राधिकृत इकाई की आपसी सहमति के बिना, पाइपलाइन या उससे संबंधित सुविधाओं या किसी अन्य सुविधा की स्थापना के लिए कोई

फीस, प्रभार, वेलीव, किराया, वार्षिकी, प्रतिकर, या किसी भी अन्य प्रकार का शुल्क या वित्तीय कर नहीं लगाएगी या कोई बैंक गारंटी या कोई अन्य शुल्क नहीं मांगेगी।

(2) कोई सार्वजनिक इकाई निम्नलिखित के संबंध में पाइपलाइन या उससे संबंधित सुविधाओं या अन्य सुविधा की स्थापना, संचालन और रखरखाव के लिए कोई कर, फीस, शुल्क, अधिभार, किराया, वेलीव, विकास शुल्क, वार्षिकी, प्रतिकर या प्रवेश शुल्क या किसी अन्य प्रकार का वित्तीय शुल्क नहीं लगाएगी या कोई बैंक गारंटी या प्रतिकर या कोई अन्य शुल्क नहीं मांगेगी-

(क) उप-खण्ड (1) के अधीन किया गया कोई करार;

(ख) ऐसी भूमि जिसमें ऐसा गैर-सार्वजनिक क्षेत्र शामिल है जिसके लिए ऐसा करार किया गया है; या

(ग) गैर-सार्वजनिक क्षेत्र, चाहे कोई करार हुआ हो या नहीं।

(3) यदि कोई गैर-सार्वजनिक इकाई या व्यक्ति उप-खण्ड (1) के अधीन अनुमति प्रदान करने में असफल रहता है और पाइपलाइन बिछाने या इसकी संबद्ध सुविधा या संबंधित अन्य सुविधा के लिए कोई वैकल्पिक मार्ग नहीं है, तो प्राधिकृत इकाई उस नामित अधिकारी को आवेदन कर सकती है, जिसके अधिकार क्षेत्र में संबंधित भूमि स्थित है, और नामित अधिकारी संबंधित गैर-सार्वजनिक इकाई या व्यक्ति को लिखित में अपनी आपत्तियां प्रदान करने के लिए सुनवाई का पंद्रह दिन का नोटिस जारी करेगा।

(4) पदाभिहित अधिकारी सुसंगत गैर-सार्वजनिक इकाई या व्यक्ति को स्वयं या किसी विधिक व्यवसायी के माध्यम से या ऑनलाइन मोड से सुनवाई का अवसर देगा, और आपत्ति को सुनने पश्चात् और जांच के पश्चात्, यदि कोई हो, तो आदेश द्वारा आपत्ति को मंज़ूर कर सकता है या नामंज़ूर कर सकता है।

(5) यदि पदाभिहित अधिकारी ने उप-खण्ड (4) के अधीन आपत्तियों को अस्वीकार कर दिया है, तो पदाभिहित अधिकारी उस भूमि का ब्यौरा प्रदान करते हुए एक आदेश जारी करेगा, जो आदेश का विषय है, तथा प्राधिकृत इकाई को पाइपलाइन या उससे संबंधित सुविधाओं या अन्य सुविधा को बिछाने, निर्माण करने, संचालित करने या रखरखाव करने या विस्तार करने के लिए आवश्यक मार्ग का अधिकार या उपयोग का अधिकार या कोई अनुमति प्रदान करेगा।

(6) उप-खण्ड (5) के अधीन पदाभिहित अधिकारी द्वारा जारी आदेश राजपत्र में प्रकाशित किया जाएगा और आदेश का अंश दो दैनिक समाचार पत्रों में, एक अंग्रेजी में तथा एक संबंधित राज्य की राजभाषा में, जिसका उस क्षेत्र में परिचालन हो, प्रकाशित किया जाएगा या उसे उस गैर सार्वजनिक क्षेत्र, जो ऐसे नोटिस का विषय है, के निकटतम व्यवहार्य निकटता में किसी प्रमुख स्थान पर चिपकाया जाएगा।

(7) गैर-सार्वजनिक क्षेत्र को शामिल करने वाली प्रासंगिक भूमि के संबंध में रास्ते का अधिकार या उपयोग का अधिकार या कोई अनुमति जिसके लिए प्राधिकृत इकाई ने अपना आवेदन प्रस्तुत किया है, उप-खंड (6) के अधीन आदेश के प्रकाशन पर प्राधिकृत इकाई के साथ निहित होगा ।

(8) उप-खण्ड (6) के अधीन अधिसूचना पर, पदाभिहित अधिकारी पाइपलाइन के लिए राइट ऑफ वे कॉरिडोर के भीतर संबंधित भूमि या उससे संबंधित संबद्ध सुविधाओं या अन्य सुविधाओं के लिए भूमि, यथास्थति, दूसरी अनुसूची के भाग-4 के अनुसार ऐसे गैर-सार्वजनिक निकाय या व्यक्ति को देय प्रतिकर का निर्धारण करेगा।

(9) इस खंड के प्रयोजन के लिए, पदाभिहित अधिकारी को सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) के अधीन किसी वाद के विचारण के दौरान सुनवाई करते समय, नीचे दिए गए मामलों के संबंध में सिविल न्यायालय की शक्ति होंगी, अर्थात्:-

(क) किसी व्यक्ति को समन करना तथा उसे उपस्थित कराना तथा शपथ पर उसकी जांच करना;

(ख) किसी दस्तावेज की खोज और उसे प्रस्तुत करने की आवश्यकता ;

(ग) शपथपत्र पर साक्ष्य प्राप्त करना ;

(घ) किसी कोर्ट या ऑफिस से कोई पब्लिक रिकॉर्ड मांगना ; और

(ङ) साक्षियों की जांच के लिए कमीशन जारी करना ।

**7. प्राधिकृत इकाई द्वारा अधिसूचित किए जाने पर परिवार द्वारा पाइप्ड प्राकृतिक गैस कनेक्शन के लिए आवेदन न करने और प्राप्त न करने के परिणाम.-** (1) यदि:

(क) किसी घर का पता ऐसे आवासीय क्षेत्र में है, जहां किसी प्राधिकृत इकाई ने पहले ही पाइपलाइन बिछा दी है या वह ऐसे पते पर या आवासीय क्षेत्र के किसी साझा पते पर प्राकृतिक गैस की आपूर्ति करने की स्थिति में है;

(ख) प्राधिकृत इकाई ने उस पते पर रजिस्टर्ड पोस्ट से पावती या स्पीड पोस्ट से एक संदेश भेजा है ताकि वह प्राधिकृत इकाई को घरेलू पाइप्ड प्राकृतिक गैस उपभोक्ता बन सके; और

(ग) परिवार ने प्राधिकृत इकाई का घरेलू पाइप्ड प्राकृतिक गैस उपभोक्ता बनने के लिए प्राधिकृत इकाई के पास आवेदन नहीं किया है,

मद (ख) के अधीन प्राधिकृत इकाई द्वारा जारी किए गए संदेश की तारीख से तीन महीने के पश्चात् ऐसे पते पर एलपीजी आपूर्ती बंद हो जाएगी:

परंतु घरेलू पाइप्ड प्राकृतिक गैस उपभोक्ता बनने के लिए आवेदन घर के विधिक कब्जाधारी या परिसर के मालिक द्वारा किया जा सकता है:

परंतु और यह भी कि **कोई** प्राधिकृत **कंपनी इस आधार पर** अनापत्ति प्रमाणपत्र **(**एनओसी**) जारी करती है कि ऐसे घर को पाइप्ड** प्राकृतिक **गैस कनेक्शन या गैस** आपूर्ती **देना** तकनीकी संभव **नहीं है**, **तो उस घर में** एलपीजी **की** आपूर्ती **बंद नहीं होगी।**

(2) प्राधिकृत इकाई **ऐ**सी तकनीकी असफलता के कारणों का रिकार्ड रखेगी और जब भी ऐसे घर को **पाइप गैस कनेक्टिविटी उपलब्ध कराने तथा उसे चालू करने में सक्षम हो जाएगी**, **तो** अनापत्ति प्रमाणपत्र **वापस ले लेगी।**

(3) प्राधिकृत इकाई, उप-खण्ड (1) के मद (ख) के अधीन प्राधिकृत इकाई द्वारा जारी संचार तथा सार्वजनिक सूचना की एक प्रति, संबंधित क्षेत्र की सभी तेल विपणन कंपनियों के सभी एल.पी.जी. डिस्ट्रीब्यूटरशिप तथा सभी तेल विपणन कंपनियों को **इस अनुरोध के साथ भेजेगी कि वे ऐसी सूचना में सूचीबद्ध संबंधित पतों के निवासियों को पाठ संदेश**, **टेलीफोन अथवा रिकॉर्ड किए गए ध्वनि संदेश द्वारा सूचित करें कि संबंधित पते पर एल.पी.जी. की आपूर्ति उक्त सूचना की** तारीख **से तीन महीने की समाप्ति पर बंद कर दी जाएगी**:

परंतु किसी भी पते पर रहने वाले व्यक्तियों के व्यक्तिगत विवरण, नाम सहित, इस खंड के अधीन जारी सार्वजनिक नोटिस में प्रकाशित नहीं किए जाएंगे ।

**8. मंज़ूरी के बाद पाइपलाइन बिछाने में प्राधिकृत इकाई की असफलता का परिणाम.-** यदि कोई प्राधिकृत इकाई जिसे रास्ते का अधिकार या उपयोग का अधिकार या कोई अनुमति दी गई है, ऐसी अनुमति मिलने के चार महीने के भीतर पाइपलाइन या उससे संबंधित सुविधाएँ बिछाने में असफल रहती है, तो-

(क) जैसा भी मामला हो, अपनी सुसंगत अनुज्ञप्ति या प्राधिकार के अधीन अपने उत्तदायित्वों का व्यतिक्रम माना जाएगा, और वह शास्ति के लिए उत्तरदायी होगी; और

(ख) उस क्षेत्र के संबंध में प्राधिकृत इकाई की विशिष्टता प्राधिकृत इकाई को सम्यक् सूचना और सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् हटाई जा सकेगी।

**9. भूमि के उपयोग के संबंध में प्रतिबंध.-** (1) बल्क सप्लाई ट्रांसमिशन **पाइपलाइनों या स्टील पाइपलाइनों के संबंध में**, **जिनमें सीजीडी नेटवर्क या उसकी संबद्ध सुविधाएं या अन्य सुविधाएं शामिल हैं**, **निम्नलिखित लागू होंगे**:-

(क) सुसंगत भूमि का स्वामी या अधिभोगी, जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र या आवासीय क्षेत्र या गैर-सार्वजनिक क्षेत्र शामिल है, जिसके संबंध में ऐसी पाइपलाइनों या उससे संबंधित सुविधाओं या अन्य सुविधाओं के लिए मार्ग का अधिकार या उपयोग का अधिकार या अनुमति प्रदान की गई है, इस आदेश के अधीन उस भूमि को उस उद्देश्य के लिए उपयोग करने का हकदार होगा, जिसके लिए भूमि ऐसे मार्ग के अधिकार या उपयोग के अधिकार या अनुमति प्रदान किए जाने की तारीख से ठीक पहले उपयोग में लाई गई थी, उस सीमा तक जहाँ तक ऐसा उपयोग संबंधित पाइपलाइन, उससे संबंधित सुविधाओं या अन्य सुविधाओं के संचालन को क्षति पहुँचाए बिना या उसमें हस्तक्षेप किए बिना संभव हो:

परंतु ऐसा स्वामी या अधिभोगी, ऐसे मार्गाधिकार या उपयोग के अधिकार या ऐसी पाइपलाइनों या उसकी सहबद्ध सुविधाओं या अन्य सुविधाओं के लिए अनुमति प्रदान करने के पश्चात्-

(क) ऐसी भूमि पर कोई भवन या कोई अन्य संरचना निर्मित करना;

(ख) ऐसी भूमि पर निर्माण या खुदाई करना; या

(ग) ऐसी ज़मीन पर कोई भी पेड़ लगाएँ ।

(2) संबंधित भूमि का स्वामी या अधिभोगी, जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र, आवासीय क्षेत्र या गैर-सार्वजनिक क्षेत्र शामिल है, जिसके संबंध में ऐसी पाइपलाइनों या उसकी सहबद्ध सुविधाओं या अन्य सुविधाओं के लिए उप-खण्ड (1) के अधीन मार्ग का अधिकार या उपयोग का अधिकार या अनुमति प्रदान की गई है, ऐसा कोई कार्य नहीं करेगा या करवाएगा, जिससे ऐसी पाइपलाइन, उससे सहबद्ध सुविधाओं या अन्य सुविधाओं को किसी भी प्रकार से कोई नुकसान हो या पहुंचने की संभावना हो।

(3) सीजीडी नेटवर्क के संबंध में, वे पाइपलाइनें जो मध्यम से निम्न दबाव वितरण नेटवर्क का हिस्सा हैं, तथा सेवा पाइपलाइनें, जो ऐसे सीजीडी नेटवर्क के द्वितीयक या तृतीयक नेटवर्क का हिस्सा हैं, निम्नलिखित लागू होंगे:

(क) सुसंगत भूमि के उस खास हिस्से का मालिक या कब्ज़ा करने वाला, जिसका इस्तेमाल ऐसी पाइपलाइन या उससे जुड़ी सुविधाओं को बिछाने के लिए किया जाता है, भूमि के ऐसे हिस्से पर ऐसा कोई काम नहीं करेगा या ऐसा कोई काम करने की अनुमति नहीं देगा, जिससे बिछाई गई या बनाई गई पाइपलाइन या उससे जुड़ी सुविधाओं को किसी भी तरह से कोई नुकसान हो सकता है, या होने की संभावना है ; और

(ख) भूमि के उस खास हिस्से का मालिक या कब्ज़ा करने वाला, जिसका उपयोग ऐसी पाइपलाइन या उससे जुड़ी सुविधाओं को बिछाने के लिए किया जाता है, प्राधिकृत इकाई को बताएगा और अगर ऐसी पाइपलाइन, उससे जुड़ी सुविधाओं या दूसरी सुविधाओं के आस-पास कोई काम किया जाना है, तो प्राधिकृत इकाई के साथ समन्वय करेगा, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि ऐसे काम से ऐसी पाइपलाइन या उससे जुड़ी सुविधाओं को नुकसान न हो।

**10. नोडल एजेंसी का पदनाम.-** (1) पीएनजीआरबी को निम्नलिखित के संग्रह, संकलन, रखरखाव और विश्लेषण के प्रयोजनों के लिए नोडल एजेंसी के रूप में नामित किया गया है-

(क) प्राधिकृत इकाईयों से सूचना जिसमें इस आदेश के अधीन रास्ते का अधिकार या उपयोग का अधिकार या कोई अनुमति प्रदान की जा रही है;

(ख) आवेदनों की अस्वीकृति के बारे में जानकारी;

(ग) पाइपलाइन बिछाने या सुविधाएं स्थापित करने के लिए प्राधिकृत इकाईयों द्वारा अनुपालन जिसके संबंध में इस आदेश के अधीन रास्ते का अधिकार या उपयोग का अधिकार या अनुमति प्राप्त की गई थी ।

(2) प्राधिकृत इकाई प्ररूप, रीति और आवधिकता में सूचना प्रस्तुत करेगी जिसमें दैनिक, साप्ताहिक, मासिक या अन्य आवधिक विवरण शामिल होंगे और ऐसे इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पर जैसा कि केंद्रीय सरकार या पीएनजीआरबी द्वारा निर्दिष्ट किया जाए।

## पहली अनुसूची

[ खंड 4(3), 4(6), 4(7) **तथा** 5(2) ***देखें*** *]*

| **भाग - 1 : आवेदन फीस** | | |
|---|---|---|
| **क्रम संख्या** | **विषय** | **फीस/प्रभार** |
| (1) | (2) | (3) |
| 1. | सार्वजनिक क्षेत्र पर स्वामित्व या नियंत्रण या अधिकार क्षेत्र रखने वाली सार्वजनिक इकाईयों से खंड 4 (3) के अधीन रास्ते का अधिकार या उपयोग का अधिकार या कोई अनुमति प्राप्त करने के लिए आवेदन या आवासीय क्षेत्रों के लिए खंड 5 (2) । | भूमिगत या ओवरग्राउंड पाइपलाइन के लिए रु. 1000/- प्रति किलोमीटर का एक बार का प्रभार । |

| **भाग-2 : सार्वजनिक इकाई द्वारा आवेदन पर निर्णय लेने की समय-सीमा** | | |
|---|---|---|
| **क्रम संख्या** | **विषय** | **समय सीमा** |
| (1) | (2) | (3) |
| 1. | एपीआई 5एल, एएसटीएम ए106 और एएसटीएम ए 333 के विनिर्देशों को पूरा करने वाली स्टील पाइपलाइनों के व्यास 20 इंच से अधिक और 10 किलोमीटर से अधिक दूरी तक पाइपलाइन बिछाने के लिए रास्ते का अधिकार या उपयोग का अधिकार या खंड 4 | साठ कार्य दिवस । |

| | | |
|---|---|---|
| | (6) के अधीन कोई अनुमति प्राप्त करने के लिए आवेदन । | |
| 2. | एपीआई 5एल, एएसटीएम ए106 या एएसटीएम ए 333 के विनिर्देशों को पूरा करने वाली और 10 किलोमीटर से कम दूरी के लिए 20 इंच से अधिक व्यास की स्टील पाइपलाइनों की पाइपलाइन बिछाने के लिए रास्ते का अधिकार या उपयोग का अधिकार या खंड 4 (6) के अधीन आने वाली किसी अनुमति के लिए आवेदन । | तीस कार्य दिवस । |
| 3. | अन्य सुविधाएं स्थापित करने के लिए खंड 4(6) (ख) या खंड 5(2) के अधीन रास्ते का अधिकार या उपयोग का अधिकार या कोई अनुमति प्राप्त करने हेतु आवेदन। | पंद्रह कार्य दिवस |
| 4. | खंड 4 (6) के अधीन स्टील पाइप या पीई पाइप बिछाने के लिए रास्ते का अधिकार या इस्तेमाल का अधिकार या कोई अनुमति मांगने के लिए आवेदन: (i) सिटी गेट स्टेशन से या (ii) एलएनजी भंडारण या रीगैसिफिकेशन फैसिलिटी से, या (iii) जिसमें सीजीडी नेटवर्क का प्राइमरी नेटवर्क शामिल हो; 10 किलोमीटर से ज़्यादा दूरी के लिए हो। | चालीस कार्य दिवस। |
| 5. | खंड 4(6) के अधीन आने वाले स्टील पाइप या पीई पाइप बिछाने के लिए रास्ते का अधिकार या उपयोग का अधिकार या कोई अनुमति प्राप्त करने के लिए आवेदन: (i) शहर के गेट स्टेशन से या (ii) एलएनजी भंडारण या रीगैसिफिकेशन सुविधा से, या (iii) सीजीडी नेटवर्क के प्राथमिक नेटवर्क को शामिल करते हुए; 10 किलोमीटर से अधिक की दूरी के लिए हो। | तीस कार्य दिवस । |

| | | |
|---|---|---|
| 6. | 10 किलोमीटर से अधिक की दूरी के लिए सीजीडी नेटवर्क के द्वितीयक नेटवर्क के भाग के रूप में स्टील पाइप या पीई पाइप बिछाने के लिए मार्ग का अधिकार या उपयोग का अधिकार या खंड 4(6) के अंतर्गत शामिल कोई अनुमति प्राप्त करने हेतु आवेदन । | बीस कार्य दिवस । |
| 7. | 10 किलोमीटर से कम की दूरी के लिए सीजीडी दूसरे नेटवर्क के भाग के रूप में स्टील पाइप या पीई पाइप बिछाने के लिए खंड 4(6) के अधीन रास्ते के अधिकार या उपयोग के अधिकार या अनुमति के लिए आवेदन। | दस कार्य दिवस । |
| 8. | सीजीडी नेटवर्क के तृतीयक नेटवर्क के भाग के रूप में स्टील पाइप या पीई पाइप बिछाने के लिए मार्ग का अधिकार या उपयोग का अधिकार या खंड 4(6) के अधीन शामिल कोई अनुमति प्राप्त करने के लिए आवेदन। | दस कार्य दिवस । |
| 9. | क्र.सं. 1 से 8 में विनिर्दिष्ट के सिवाय खंड 4(6) के अधीन बिछाने, निर्माण करने, चालू करने, संचालन, रखरखाव या विस्तार से संबंधित सार्वजनिक संस्था से रास्ते का अधिकार या उपयोग का अधिकार या कोई अनुमति के लिए आवेदन । | बीस कार्य दिवस । |

## दूसरी अनुसूची

[ खंड 4(14),4(15), 4(16) **और** 4(17), 5(7), 5(9), 5(10), 6(1) **और** 6(8) ***देखें*** *]*

| **भाग - 2 : अनुमति प्रदान करने के लिए प्रभार** | | |
|---|---|---|
| **क्रम संख्या** | **विषय** | **प्रभार** |
| (1) | (2) | (3) |
| 1. | सार्वजनिक क्षेत्र पर स्वामित्व, नियंत्रण या अधिकार क्षेत्र रखने वाली सार्वजनिक इकाईयों से खंड 4(14) के अधीन आने वाले रास्ते का अधिकार या उपयोग का अधिकार या भूमि क्षेत्र के लिए कोई अनुमति या आवासीय क्षेत्रों के लिए खंड 5(7) के अधीन अनुमति । | (क) रास्ते के अधिकार के लिए 1,000/- रुपये प्रति किलोमीटर ;<br>(ख) दिए गए गड्ढों के क्षेत्र पर लागू सर्किल रेट का तीस प्रतिशत (30%), आमतौर पर 5x10 वर्ग फीट से अधिक नहीं);<br>(ग) पाइपलाइन की संबंधित सुविधाओं और अन्य सुविधाओं के लिए दिए गए किसी भी उपयोग के अधिकार या भूमि के लिए क्षेत्र पर लागू सर्किल रेट का तीस प्रतिशत (30%) । |

| **भाग-2 : खुदाई और भुगतान आधार पर प्रभार** | | |
|---|---|---|
| **क्रम संख्या** | **विषय** | **प्रभार** |
| (1) | (2) | (3) |
| 1. | खंड 4(16) या खंड 5(9) के अंतर्गत खुदाई और | (क) कंक्रीट सड़कों के संबंध में 5000/- |

| | | |
|---|---|---|
| | भुगतान आधार पर कार्यों के लिए अधिकृत इकाई द्वारा देय प्रभार । | रुपये प्रति रनिंग मीटर;<br>(ख) बिटुमिनस सड़क के लिए 3500 रुपये प्रति रनिंग मीटर। ये रेट कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स (सीपीआई) के हिसाब से होंगे और हर साल बदले जाएंगे। |

| **भाग-3 : खुदाई और पुन:स्थापन आधार पर प्रदर्शित बैंक गारंटी** | | |
|---|---|---|
| **क्रम संख्या** | **विषय** | **प्रभार** |
| (1) | (2) | (3) |
| 1. | खंड 4(15), 4(17) या खंड 5(10) के अधीन आवेदन की तिथि को खुदाई और पुन:स्थापन आधार पर किए गए कार्यों के लिए प्रदर्शित बैंक गारंटी की राशि । | सुसंगत सार्वजनिक इकाई द्वारा अधिसूचित या बताए गए सड़क या इलाके के प्रकार के लिए पुन:स्थापन प्रभार का 20% । |

| **भाग-4 : गैर-सार्वजनिक इकाई या व्यक्ति को देय प्रतिकर** | | |
|---|---|---|
| **क्रम संख्या** | **विषय** | **प्रभार** |
| (1) | (2) | (3) |
| 1. | खंड 6(8) के अंतर्गत गैर-सार्वजनिक इकाई या व्यक्ति को आवेदन प्रस्तुत करने ((खंड 6(1) के अनुसार प्रस्तुत किया गया) की तारीख को देय प्रतिकर । | एकमुश्त भुगतान की गणना उस भूमि के क्षेत्रफल को उस राशि से गुणा करके की जाएगी, जो भूमि के व्यावसायिक उपयोग के लिए लागू सर्किल रेट के तीस प्रतिशत (30%) के बराबर हो, जो मार्ग-अधिकार, उपयोग-अधिकार या अनुमति प्रदान करने के विषय से संबंधित है:<br>परंतु कि यदि संबंधित गैर-सार्वजनिक इकाई या व्यक्ति आवेदन प्राप्त |

| | | |
|---|---|---|
| | | होने के चौबीस घंटों के भीतर (खंड 6(1) के अंतर्गत) खंड 6(1) के तहत समझौते में प्रवेश करता है, तो उसे उक्त राशि का दोगुना प्राप्त होगा, अर्थात ऐसी परिस्थितियों में भूमि के व्यावसायिक उपयोग के लिए लागू सर्किल रेट के तीस प्रतिशत (30%) के बराबर अतिरिक्त राशि संबंधित गैर-सार्वजनिक इकाई या व्यक्ति को दी जाएगी। |

[फा. सं. L-16016/6/2026-GP-I (Part -2)(E:55786)]

विकास सिंह, निदेशक

**MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS**

**ORDER**

New Delhi, the 24th March, 2026

**S.O. 1536(E). — Whereas,** the Central Government in exercise of its powers conferred under section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955) has issued the Petroleum Products (Maintenance of Production, Storage and Supply) Order, 1999, to regulate the production, storage and supply of petroleum products in the public interest;

**And whereas** the increase in supply of natural gas through pipelines to domestic consumers shall enable release of Liquified Petroleum Gas (hereafter referred to as the "LPG") from those areas across the country where there is natural gas pipeline connectivity and to make available additional volumes of LPG where there is an absence of natural gas pipelines to reduce dependence on any one fuel;

**And whereas** the supply and distribution of natural gas to consumers requires the laying of pipelines, a *sine qua non,* of different capacities originating from either a tap off point from a large main transmission pipeline or a Liquefied Natural Gas (hereafter referred to as the "LNG") storage facility to enable transportation of natural gas for its distribution through individual pipelines or a network of smaller pipelines and eventually through service pipelines to the consumer;

**And whereas** the impediments being faced to lay pipelines for transportation of natural gas to premises of consumers as also the pipelines for transportation of petroleum products, include approvals from various authorities, imposition of very high fee and charges and at times denial of access to land or residential areas as well as premises by consumers themselves or in case of domestic consumers, their resident welfare associations;

**And whereas** even in areas where there is availability of natural gas pipeline, consumers may not like to switch to natural gas and instead continue with LPG, resulting in high reliance on LPG even in geographical areas where consumers can otherwise be supplied with natural gas;

**And whereas** constraints are being faced and are expected to be faced for long time in relation to the supply and distribution of both LPG and natural gas on account of extensive damage to and suspension of operations of the liquefaction facilities in the Gulf region that supply liquefied natural gas to India and the continued blockage of the Strait of Hormuz as such events require fuel diversification as a mitigation for long term energy security;

**And whereas** the Central Government considers it necessary in public interest for a uniform framework to address issues that hinder the laying of such pipelines including denial of access to land, delay in approvals, delay in grant of right of way or right of user in the land, high fee and charges, to enable entities to undertake the laying of pipelines for transportation of natural gas and petroleum products in a time bound manner and increase the number of piped natural gas users across India.

**Now, therefore** in exercise of the powers conferred by section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), the Central Government hereby makes the following order, namely:

1. **Short title, application and commencement**.– (1) This order may be called the Natural Gas and Petroleum Products Distribution (Through Laying, Building, Operation and Expansion of Pipelines and Other Facilities) Order, 2026.

   (2) This order shall apply to–

   (i) all public entities and other persons or individuals having rights, authority, jurisdiction or control over public areas, housing areas and non-public areas; and

   (ii) all authorised entities.

   (3) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. **Definitions.– (**1**)** In this order, unless the context otherwise requires,–

   (a) "authorised entities" means any person–

   (i) who is authorised, approved or licensed by the Central Government under the Petroleum Act, 1934(30 of 1934);

(ii) who is laying, building, operating or undertaking expansion of a pipeline to transport petroleum and petroleum products;

(iii) who is authorised by the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (hereafter referred to as the "PNGRB") under the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board Act, 2006 (19 of 2006) to lay, build, operate or expand a common carrier or contract carrier natural gas pipeline or a city gas distribution network; or

(iv) who may be designated by the Central Government for the purposes of this order;

(b) "common ducts or conduits or cable corridors" individually or collectively mean any linear infrastructure of any size for housing utility lines including pipelines;

(c) "designated officer" means : (i) in relation to areas that are not under the jurisdiction of a municipal corporation, the District Collector or District Magistrate, (ii) in relation to areas under the jurisdiction of a municipal corporation, an officer of the level of Secretary in the Department of Urban Development, or Municipal Affairs Department of the State Government, as the case may be, or (iii) such other officer of the rank of Joint Secretary as may be designated by the Central Government for the purposes of this order;

(d) "dig and pay basis" shall have the meaning as provided in sub-clause (15) of clause 4;

(e) "dig and restore basis" shall have the meaning as provided in sub-clause (15) of clause 4;

(f) "duct" means a pipe, permanently lubricated or of any other kind, used as underground cable conduit for a pipeline;

(g) "housing area" means any area, whether a public area or non-public area, where residential flats or bungalows are developed or are being developed;

(h) "non-public area" means any immovable property or area that is not a public area and includes any housing area owned or managed by a non-public entity, resident welfare association, or group housing society;

(i) "overground pipeline" means a pipeline or a network of pipelines, equipment, and its associated facilities that are established or installed either wholly or partially over the ground including any facilities and installations interconnected with a pipeline including those required for change in pressure, which can include pipelines or any other equipment ;

(j) "other facilities" means any facilities or installations required for–

(i) storage of petroleum products, natural gas, liquefied natural gas, or regasification of liquified natural gas;

(ii) storage of compressed natural gas;

(iii) dispensing compressed natural gas;

(iv) de-compressing compressed natural gas and distributing natural gas; or

(v) any other facility or installation required for distributing natural gas or petroleum products.

(k) "permission" means any permission under any law for the time being in force for the purposes of laying, operation, maintenance or expansion of a pipeline or an overground pipeline or underground pipeline or any of its associated facility;

(l) "pipeline" means a pipeline or network of pipelines or any constituent of a pipeline or its associated facilities that is used for the purposes of transportation or distribution or supply of natural gas or petroleum products to one or more premises and includes overground pipeline and underground pipeline;

(m) "public entity" means—

(i) the Central Government;

(ii) the State Governments;

(iii) urban authorities;

(iv) any authority, body, company, agency or institution incorporated or established by or under the control of the Central Government or the State Government or under any statute;

(v) district administration, village administration or any office or organisation vested with the authority to regulate development or use of land in any area; or

(vi) any non-public entity vested with the ownership, control or management of any public facility or class of public facilities;

(n) "public area" means any immovable property or area which is owned by or in the possession of or under the control of management of any public entity;

(o) "Schedule" means the schedules appended to this order;

(p) "underground pipeline" means parts of a pipeline or a network of pipelines, equipment and its associated facilities, including any facilities for storage of liquefied natural gas, compressed natural gas, petroleum products, established under the ground for the purposes of establishment or maintenance of the pipeline for transportation, including common ducts or conduits or cable corridors, markers, underground pipelines;

(q) "urban authorities" means the authorities including municipal corporations, municipal councils, development authorities that own public lands or roads that are required to be accessed by authorised entities.

(2) Words and expressions used and not defined herein but defined in the Petroleum Act, 1934 (30 of 1934), the Oilfields (Regulation and Development) Act, 1948 (53 of 1948) and the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board Act, 2006 (19 of 2006), or the rules or regulations made thereunder; the Petroleum Products (Maintenance of Production, Storage and Supply) Order, 1999, the Liquefied Petroleum Gas (Regulation of Supply and Distribution) Order, 2000, shall have the meaning assigned to them in those Acts, rules or regulations, orders, as the case may be.

**3. Extent.–** (1) This order shall govern the grant of right of way or right of use or any permission required for enabling an authorised entity to use any public area or housing area or non-public area for purposes of–

(a) laying, building, operating or expanding pipelines, overground pipeline or underground pipeline or its associated facilities; and

(b) building, operating, maintaining or expanding any other facilities.

(2) All persons owning land or common ducts or conduits or cable corridors or controlling access to land or common ducts or conduits or cable corridors or the right of way or any easement in relation to land or common ducts or conduits or cable corridors, which is required by an authorised entity for the purposes of–

(a) laying, building, operating or expanding pipelines, overground pipeline or underground pipeline for transportation of natural gas or petroleum products, as well as their associated facilities; and

(b) building, operating, maintaining or expanding any other facilities, shall comply with the provisions of this order and shall exercise any of their rights or authority over such land in accordance with this order.

(3) All public entities shall exercise their authority in accordance with the provisions of this order over any land under their jurisdiction, which is required for purposes of–

(a) laying of pipelines, overground pipelines or underground pipelines for transportation of natural gas or petroleum products as well as their associated facilities; and

(b) building, operating, maintaining or expanding any other facilities.

(4) This order shall govern all applications that are pending for laying of pipelines or facilities specified in sub-clause (2) with public entities or non-public entities on the date of publication of this order.

(5) The authorised entity that had submitted the application shall have to submit a communication to the relevant public entity that such application may be processed in accordance with the provisions of this order alongwith with the applicable charges under this order.

**4. Grant of permission by public entities.– (1)** The public entities shall grant right of way or right of use or any permission in respect of any public areas, that are not housing areas, for the purposes of–

(a) laying, building, operating or expanding a pipeline and its associated facilities; or

(b) establishing, operating, maintaining or expanding other facilities.

(2) An authorised entity seeking a right of way or right of use or any permission covered under sub-clause (1) shall submit an application to the relevant public entity having ownership or control or jurisdiction to grant the required right of way or permission over such public area.

(3) Every application shall be accompanied with the fee as specified in Part-1 of the First Schedule. The application shall be either delivered to the Public entity with acknowledgement of receipt or through registered post and by email.

(4) On submission of the application made under sub-clause (2), any person, authorised by the authorised entity in this behalf shall undertake any or all of the following activities in respect of land comprising the public area for which the application has been submitted–

(a) make any inspection, survey, measurement, valuation or enquiry;

(b) take levels;

(c) dig or bore into sub-soil;

(d) set out boundaries and intended lines of work;

(e) mark such levels, boundaries and lines placing marks and cutting trenches; or

(f) do such other acts or things as may be considered necessary to prepare for determining feasibility of, planning and otherwise preparing for the intended works of laying of pipelines, their associated facilities, other facilities or overground pipeline or underground pipeline.

(5) On examination of an application received under sub-clause (2), the public entity shall seek all such clarifications and additional documents, if any, in one consolidated requisition within seven days of submission of application.

(6) All public entities shall, within the time limit specified in Part II of the First Schedule, grant or reject permission for the purposes of enabling such authorised entity to lay, build, or expand–

(a) a pipeline for transportation of natural gas or petroleum products; or

(b) any other facilities, over or under the public area under its ownership or control or jurisdiction, including vesting of right of way or right of use in relevant land comprising such public area:

Provided that the Central Government may increase or reduce the time limit so specified in respect of any specific type of approval.

(7) If the public entity intends to reject an application made by an authorised entity, it shall provide its reasons in writing to the relevant authorised entity that submitted the application, within the time limit specified in Part II of the First Schedule.

(8) The authorised entity shall submit within a period of fifteen days from the receipt of such reasons under sub-clause (7), its responses to the reasons and provide clarifications with any additional documents as the authorised entity may consider necessary or as may be sought by the public entity.

(9) The public entity shall, after due consideration of the response of the authorised entity under sub-clause (8), either grant or reject the application specifying reasons and communicate its decision to the authorised entity within a period of seven days from the receipt of the response of the authorised entity:

Provided that if the public entity is unable to provide a viable alternate option for laying of the pipeline or any other facilities required to distribute natural gas or petroleum products in the relevant area, the public entity shall not reject an application.

(10) Upon rejection of application, the public entity shall refund to the authorised entity an amount equal to ninety per cent. of the fee paid under sub-clause (2) along with the application.

(11) In case the public entity does not reject the application or fails to grant the permission within the period specified in sub-clause (6), the permission shall be deemed to have been granted and no written communication or approval would be required by the authorised entity and the authorised entity shall make the payment of charges as specified in sub-clause (3).

(12) In case of deemed permission referred in sub-clause (11), the authorised entity shall issue a public notice on its website and in two daily newspapers having wide circulation in the relevant area, one in English and one in the official language of the relevant State, specifying that deemed approval has been granted clearly communicating the date of filing of the application and the date of such deemed approval and send a copy through registered post and by mail to the public entity:

Provided that any issuance of a false public notice by an authorised entity shall be considered default under its authorisation or license, as the case may be, and be liable for consequences thereunder.

(13) The charges payable to the relevant public entity for grant of the permission under sub-clause (1) shall be as per the charges specified in Part I of the Second Schedule.

(14) In relation to restoration of the public area falling under the jurisdiction of an urban authority for which the right of way or right of use or permission is given under this clause, the public entity may, as per its policy require the relevant authorised entity, either –

(a) to pay for the restoration work that would be undertaken by the relevant authority (i.e. on dig and pay basis), or

(b) to undertake the restoration work itself at its own cost (i.e. on dig and restore basis):

Provided that in relation to bulk supply transmission pipelines work in a public area the provisions of sub-clause (15) shall apply.

(15) An authorised entity undertaking laying, building, operating or expanding a bulk supply transmission pipelines work in a public area will be required, by a public entity, to undertake its works only on dig and restore basis, and such authorised entity shall provide to the relevant public entity a performance bank guarantee in accordance with Part III of Second Schedule.

(16) An authorised entity undertaking laying, building, operating or expanding a City Gas Distribution (hereafter referred to as the "CGD") network in a public area under the jurisdiction of an urban authority on a dig and pay basis shall be required to pay charges for restoration as per the charges specified in Part II of the Second Schedule.

(17) An authorised entity undertaking laying, building, operating or expanding a CGD network in a public area under the jurisdiction of an urban authority, on a dig and restore basis, shall provide an irrevocable and unconditional revolving bank guarantee for an amount equal to the amount specified in Part III of the Second Schedule, as security for performance of undertaking the works, within five working days from the grant of the permission or deemed permission, as the case may be.

(18) The authorised entity shall, upon completion of such restoration work, submit a certification and photographic or video proof to the public entity within one day of completion of the restoration and the public entity shall, upon inspection of the restoration, return to the authorised entity the bank guarantee provided under sub-clause (15) or sub-clause (17) within thirty days of submission of the certificate by the relevant authorised entity.

(19) The public entity shall not levy any tax, fee, charge, surcharge, rent, wayleave, development charge, annuity, compensation, entry fee or any other types of charge or financial levy, other than those specified in this order for access or seek any other charges or compensation in any form for the permission for–

(a) laying, building, operating, or maintaining any pipelines; or

(b) establishing, operating, maintain or expanding any other facilities.

**5. Grant of permission in housing areas.–** (1) The relevant entity, being either a public entity or a non-public entity that controls access to, or owns any land comprising any housing area shall within three working days of an application made by an authorised entity, grant right of way or right of use or any permission for the purposes of enabling such authorised entity to lay, build or expand a pipeline or any other facilities for enabling transportation of natural gas or distribution and supply of natural gas to all residential units located within the relevant housing area and the last mile connectivity for a domestic PNG consumer shall be granted within forty-eight hours.

(2) An application by an authorised entity to the relevant entity shall be accompanied with the fee as specified in Part I of the First Schedule which shall be processed within the time limit provided in Part II of the First Schedule. The application shall be either delivered to the relevant entity or individual with acknowledgement of receipt or through registered post and, if possible, by email.

(3) The relevant entity shall not reject an application made by an authorised entity under sub-clause (2) to ensure that all housing areas are connected to a pipeline network for enabling distribution and supply of natural gas through pipelines to all residential units within a housing area.

(4) If the relevant entity fails to grant the right of way or right of use or any permission as had been sought, then the authorised entity shall:

(a) notify the designated officer of the details of the housing area and the addresses of all the residential units as available in the public records that are located in such housing area;

(b) issue a public notice together with the addresses mentioned in the notice issued in item (a), that is displayed prominently at the entry points or public roads closest to the housing area of such application having been made but no approval having been provided with the consequences stated in this sub-clause;

(c) cause to be published the public notice in two daily newspapers, one in English and one in the official language of the relevant State, having wide circulation in the place where the housing area is located; and

(d) notify the LPG distributorships of all oil marketing companies in the area of the public notice issued with the addresses with a copy to the relevant marketing official of all oil marketing companies, with a request to notify the residents of the relevant addresses listed in such notice, either by text message or telephonically or by recorded voice message, that supply of LPG to the relevant address shall be stopped within three months from the date of the said notice:

Provided that personal details of the persons residing at any of the addresses, including names shall not be published in the public notice issued under this clause.

(5) The supply of LPG to the households in the relevant housing area shall cease upon expiry of three months from the date of issue of the notice under sub-clause (4):

Provided that the supply of LPG to a household shall not cease, if the authorised entity issues a no objection certificate (NOC) on the ground that it is technically infeasible for the authorised entity to provide a piped natural gas connection to such household.

(6) The authorised entity shall maintain records of the reasons for such technical infeasibility and withdraw the NOC as and when it is able to provide and operationalise the piped connectivity to such household.

(7) The charges payable to the relevant entity for grant of the permission under sub-clause (1) shall be as per the charges specified in Part I of the Second Schedule.

(8) In relation to restoration of the housing area falling under the jurisdiction of an urban authority, for which the right of way or right of use or permission is given under this clause, the relevant public entity may, as per its policy, require the authorised entity to undertake the works, either on a dig and pay basis or dig and restore basis.

(9) The charges applicable for work done on dig and pay basis shall be as per the charges specified in Part II of the Second Schedule.

(10) In relation to work undertaken on a dig and restore basis, the authorised entity shall provide an irrevocable and unconditional revolving bank guarantee for an amount equal to the amount specified in Part III of the Second Schedule, as a security for its performance within five working days from the grant of the permission or deemed permission, as the case may be.

(11) In respect of a relevant entity which is a non-public entity, works shall be undertaken by the authorised entity only on a dig and restore basis without a need for a bank guarantee.

(12) In the event the relevant public entity requires the authorised entity to undertake the works of rectification under sub-clause (8), the authorised entity shall on completion of such restoration work, submit a certificate with photographic or video evidence, if any, to the relevant public entity and the relevant public entity shall, upon inspection of the restoration, return the bank guarantee provided under sub-clause (10) within thirty days of submission of the certificate by the authorised entity.

(13) The relevant entity shall not levy any fee, charge, surcharge, rent, wayleave, development charge, annuity or compensation or entry fee or any other type of charge or financial levy, other than

those specified in this order for granting access to or seek any other charges or compensation in any form for:

(a) laying, building, operating, or maintaining any pipeline; or

(b) establishing, operating, maintaining or expanding any other facilities.

(14) The provisions of this clause shall not apply to pipelines transporting petroleum and petroleum products.

**6. Grant of permission by non-public entities in non-public areas.–**(1) Any non-public entity or individual that controls access to, or owns, any land comprising any non-public area, which is not a housing area, shall upon receiving an application by an authorised entity for granting any right of way or right of use or any permission, for the purposes of enabling such authorised entity to lay, build, or expand a pipeline or its associated facilities or other facility shall, enter into an agreement specifying mutually agreed consideration for permitting the authorised entity to undertake surveys as may be required for the purpose of assessing the feasibility of laying overground pipeline or underground pipeline or any other facility. The application shall: (a) be accompanied with a draft of the agreement (which shall be in a standard form available on the website of the authorised entity for this purpose) and (b) be either delivered to the non-public entity or individual with acknowledgement of receipt or through registered post and, if possible, by email:

Provided that a non-public entity or individual shall not, except with the mutual agreement of the authorized entity, levy any fees, charges, wayleave, rent, annuity, compensation or any other type of charge or financial levy or require any bank guarantee or any other charges or compensation for the establishment of pipeline or its associated facilities or any other facility.

(2) A public entity shall not levy any tax, fees, charges, surcharge, rent, wayleave, development charge, annuity, compensation or entry fee or any other type of financial levy or require any bank guarantee or any other charges or compensation for the establishment, operation and maintenance of a pipeline or its associated facilities or other facility in respect of–

(a) any agreement entered into pursuant to sub-clause (1);

(b) land comprising such non-public area in respect of which such an agreement is executed; or

(c) non-public areas irrespective of whether any agreement has been executed or not.

(3) In case a non-public entity or individual fails to provide permission under sub-clause (1) and there is no alternate route for laying of the pipeline or its associated facility or the relevant other facility, the authorised entity may apply to the designated officer, under whose jurisdiction the relevant land is located, and the designated officer shall issue fifteen days notice of hearing to the relevant non-public entity or individual to provide its objections in writing.

(4) The designated officer shall give the relevant non-public entity or individual an opportunity to be heard either in person or through a legal practitioner or through online mode, and may after hearing the objections and making further inquiry, if any, by order allow or disallow the objections.

(5) In case the designated officer has disallowed the objections under sub-clause (4), the designated officer shall issue an order providing the details of the land which is the subject matter of the order, granting the required right of way or right of use or any permission to the authorised entity to proceed to lay, build, operate or maintain or expand the pipeline or its associated facilities or other facilities.

(6) The order issued by the designated officer under sub-clause (5) shall be published in the Official Gazette and the extract of the order shall be published in two daily newspapers, one in English and one in official language of the relevant State, having circulation in the area or pasted at a prominent location in closest viable proximity to the non-public area that is subject matter of such notice.

(7) The right of way or right of use or any permission in relation to the relevant land comprising the non-public area for which the authorised entity had submitted its application, shall vest with the authorised entity upon publication of the order under sub-clause (6).

(8) On notification under sub-clause (6), the designated officer shall determine the compensation payable to such non-public entity or individual for the relevant land within the right of way corridor for the pipeline or its associated facilities or other facilities, as the case may be, in accordance with Part IV of the Second Schedule.

(9) The designated officer shall for the purposes of this clause, have the powers of civil court while trying a suit under the Code of Civil Procedure, 1908 (5 of 1908) in respect of the following matters, namely:-

(a) summoning and enforcing the attendance of any person and examining him on oath;

(b) requiring the discovery and production of any document;

(c) receiving evidence on affidavits;

(d) requestioning any public record from any court or office; and

(e) issuing commission for examination of witnesses.

**7. Consequence of household not applying for and obtaining piped natural gas connection when notified by authorised entity.– (1)** If:

(a) the address of a household is located in a housing area where an authorised entity has already laid a pipeline or is in a position to supply natural gas to such an address or a common address of the housing area;

(b) the authorised entity has issued a communication by registered post acknowledgement due or by speed post to such address to become a domestic piped natural gas consumer of the authorised entity; and

(c) the household has not applied to the authorised entity to become a domestic piped natural gas consumer of the authorised entity,

the LPG supply to such address shall cease after three months from the date of the communication issued under item (b) by the authorised entity: Provided that an application to become a domestic piped natural gas consumer can be made by the lawful occupier of the household or the owner of the said premises:

Provided further that the supply of LPG to a household shall not cease, if the authorised entity issues a no-objection certificate (NOC) on the ground that it is technically infeasible to provide a piped natural gas connection or gas supply to such household.

(2) The authorised entity shall maintain records of the reasons for such technical infeasibility and withdraw the NOC as and when it is able to provide and operationalise the piped gas connectivity to such household.

(3) The authorised entity shall send a copy of the communication and public notice issued by the authorised entity under item (b) of sub-clause (1), to all LPG distributorships of all oil marketing companies of the relevant area and to all the oil marketing companies, with a request to notify the residents of the relevant addresses listed in such notice, either by text message or telephonically or by recorded voice message, that supply of LPG to the relevant address shall be stopped on expiry of three months from the date of the said notice:

Provided that the personal details of the persons residing at any of the addresses, including names shall not be published in the public notice issued under this clause.

**8. Consequence of failure by authorised entity to lay pipelines after approval.–** If an authorised entity to whom a right of way or right of use or any permission has been granted, fails to lay the pipeline or its associated facilities within a period of four months from the grant of such permission, then–

(a) the authorised entity shall be considered to be in default of its obligations under its relevant licence or authorisation, as the case may be, and shall be liable to penalty; and

(b) the exclusivity of the authorised entity with respect to that area may be removed after giving due notice and opportunity of being heard to the authorised entity.

**9. Restrictions regarding use of land.– (**1) In respect of bulk supply transmission pipelines or steel pipelines including those comprising the CGD network or its associated facilities or other facilities, the following shall be applicable:–

(a) the owner or occupier of the relevant land comprising the public area or housing area or non-public area in respect of which right of way or right of use or permission has been granted, for such pipelines or its associated facilities, shall be entitled to use the land for the purpose for which land was put to use immediately before the date of grant of such right of way or right of

use or permission, under this order, to the extent such use may be possible without causing damage to or interference with the operation of the relevant pipeline, its associated facilities or other facilities:

Provided that such owner or occupier shall not after such grant of right of way or right of use or permission for such pipelines or its associated facilities or other facilities–

(a) construct any building or any other structure on such land;

(b) construct on or excavate such land; or

(c) plant any tree on such land.

(2) The owner or occupier of the relevant land comprising the public area or housing area or non- public area in respect of which right of way or right of use or permission has been granted under sub-clause (1) for such pipelines or its associated facilities or other facilities, shall not do or cause to be done any act which will or is likely to cause any damage in any manner whatsoever to such pipeline, its associated facilities or other facilities.

(3) In respect of a CGD network, pipelines which comprise the medium to low pressure distribution network, as well as service pipelines, of the secondary or tertiary network of such CGD network, the following shall be applicable:

(a) The owner or occupier of the specific portion of the relevant land that is utilized to lay such pipelines or its associated facilities shall not do any act or permit any act to be done on such portion of land which can, or is likely to, cause any damage in any manner whatsoever to such pipeline or its associated facilities so laid or built, and

(b) The owner or occupier of the specific portion of the relevant land that is utilized to lay such pipelines or its associated facilities will notify the authorised entity and coordinate with the authorised entity in the event any work is to be undertaken in proximity with such pipeline, its associated facilities or other facilities so as to ensure that such work does not damage such pipelines or its associated facilities.

**10. Designation of nodal agency.–** (1) The PNGRB is designated as the nodal agency for the purposes of collection, compilation, maintenance and analysis of–

(a) the information from authorised entities in which the right of way or right of use or any permission are being provided for under this order;

(b) the information as to rejection of applications;

(c) the compliance by the authorised entities to lay the pipelines or establish the facilities in respect of which such right of way or right of use or permissions were obtained under this order.

(2) The authorised entity shall furnish information in the form, manner and periodicity which may include daily, weekly, monthly or other periodic returns and on such electronic platform as may be specified by the Central Government or the PNGRB.

**First Schedule**

**[***See* clauses 4(3), 4(6), 4(7) and 5(2)]

| **Part – I : Fee for application** | | |
|---|---|---|
| **Sl. No.** | **Subject** | **Fee/charge** |
| (1) | (2) | (3) |
| 1. | Application for seeking right of way or right of use or any permission under clause 4 (3) from public entities having ownership or control or jurisdiction over public area or clause 5 (2) for housing areas. | One time charge of Rs 1000/-per kilometer for underground pipeline or overground pipeline. |

| **Part-II : Time limit for deciding application by public entity** | | |
|---|---|---|
| **Sl. No.** | **Subject** | **Time limit** |
| (1) | (2) | (3) |
| 1. | Application for seeking right of way or right of use or any permission under clause 4 (6) for laying pipeline of steel pipelines of diameter of above 20 inches meeting specifications of API 5L, ASTM A106 or ASTM A 333 and for a distance greater than 10 kilometers. | Sixty working days. |
| 2. | Application for seeking right of way or right of use or any permission covered under clause 4 (6) for laying pipeline of steel pipelines of diameter of above 20 inches meeting specifications of API 5L, ASTM A106 or ASTM A 333 and for a distance less than 10 kilometers. | Thirty working days. |
| 3. | Application for seeking right of way or right of use or any permission under clause 4(6) (b) or clause 5(2) for establishing other facilities. | Fifteen working days. |
| 4. | Application for seeking right of way or right of use or any permission covered under clause 4 (6) for laying of steel pipes or PE pipes: (i) from a city gate station or (ii) from a LNG storage or regasification facility, or (iii) comprising primary network of a CGD network; for a distance of more than 10 kilometers. | Forty working days. |
| 5. | Application for seeking a right of way or right of use or any permission covered under clause 4(6) for laying steel pipes or PE pipes: (i) from a city gate station or (ii) from a LNG storage or regasification facility, or (iii) comprising | Thirty working days. |

| | | |
|---|---|---|
| | primary network of a CGD network; for a distance of more than 10 kilometers. | |
| 6. | Application for seeking a right of way or right of use or any permission covered under clause 4(6) for laying steel pipes or PE pipes] as part of the secondary network of a CGD network for a distance of more than 10 kilometers. | Twenty working days. |
| 7. | Application for seeking right of way or right of use or any permission covered under clause 4(6) for laying steel pipes or PE pipes as part of the secondary network of a CGD network for a distance of less than 10 kilometers. | Ten working days. |
| 8. | Application for seeking right of way or right of use or any permission covered under clause 4(6) for laying steel pipes or PE pipes as part of the tertiary network of a CGD network. | Ten working days. |
| 9. | Application seeking right of way or right of use or any permission from public entity relating to laying, building, commissioning, operation, maintenance or expansion under clause 4 (6) other than specified in Sl. Nos.1 to 8. | Twenty working days. |

**Second Schedule**

[*See* clauses 4(14), 4(15), 4(16) and 4(17), 5(7), 5(9), 5(10), 6(1) and 6(8)]

| **Part – I : Charges for grant of permission** | | |
|---|---|---|
| **Sl. No.** | **Subject** | **Charges** |
| (1) | (2) | (3) |
| 1. | Grant of right of way or right of use or any permission or land area covered under clause 4(14) from public entities having ownership or control or jurisdiction over public area or clause 5(7) for housing areas. | (a) Rs. 1,000/- per kilometer for right of way;<br>(b) 30% of the applicable circle rate to the area of pits area granted, usually not greater than 5x10 sq feet;<br>(c) 30 % of the applicable circle rate to the area for any right of use or land provided for the associated facilities of the pipeline and other facilities. |

| **Part -II : Charges for dig and pay basis** | | |
|---|---|---|
| **Sl. No.** | **Subject** | **Charges** |
| (1) | (2) | (3) |
| 1. | Charges payable by authorised entity for works on dig and pay basis under clause 4(16) or clause 5(9). | (a) Rs.5000/- per running meter in respect of concrete roads;<br>(b) Rs 3500/- per running meter for bituminous road. These rates shall be indexed to the Consumer Price Index (CPI) and shall be revised on an annual basis. |

| **Part -III : Performance bank guarantee for dig and restore basis** | | |
|---|---|---|
| **Sl. No.** | **Subject** | **Charges** |
| (1) | (2) | (3) |
| 1. | The amount of performance bank guarantee for works undertaken on dig and restore basis as on the date of the application under clause4(15), clause4(17) or clause 5(10). | 20% of the restoration charges for the type of road or area notified or specified by the relevant public entity. |

| Part -IV : Compensation payable to non-public entity or individual | | |
|---|---|---|
| **Sl. No.** | **Subject** | **Charges** |
| (1) | (2) | (3) |
| 1. | Compensation payable on the date of the submission of the application (submitted as per clause 6(1)) to the non-public entity or individual under clause 6(8). | One-time payment calculated by multiplying the area of land that is the subject matter of grant of right of way or right of use or permission with an amount equal to 30 % of the applicable circle rate for commercial use of the land:<br><br>Provided that if the relevant non-public entity or individual enters into the agreement under clause 6(1) within twenty four hours of receiving the application (under clause 6(1) will receive an amount that would be double the stated amount, that is to say, in such circumstances an additional amount equivalent to 30% of the applicable circle rate for commercial use of the land shall be paid to the relevant non-public entity or individual. |

[F. No. L-16016/6/2026-GP-I (Part -2)(E:55786)]
VIKAS SINGH, Director

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Date: 2026.03.24 20:31:51 +05'30'